



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक: एफ.2()सा0प्र0 / मदसविवि / 2022 / 16039

दिनांक: 30/4/2022

वेब एडमिनिस्ट्रेटर
म0द0स0 विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं की परपक्षीय ऑडिट को अपलोड करने के संबंध में।

संदर्भ:- राज्य लोक सूचना अधिकारी (कुलसचिव) पत्रांक 4481 दिनांक 09.3.20222

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित विषय के क्रम में सूचित कर लेख है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा निष्पादित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012, अधिनियम 2013 व समय-समय पर जारी संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय में निविदा संबंधी व विविध प्रकार की सेवा एवं सामग्री क्रय के संबंध में नियमानुसार गठित समिति (विश्वविद्यालय क्रय समिति एवं उपक्रय समिति) के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

भवदीय,

उपकुलसचिव-सा0प्र0

30/04/22

30-4-22
4:50 PM